

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

01 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020

तारीख दायरा

13.01.2020

तारीख निर्णय

02.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

..... प्रार्थी

वनाग

- 1-श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह एफ.बी.ओ. मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सुभाष सर्किल के पास के पास मालपुरा जिला टोंक राज.
- 2- मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टोंक राज.
- 3-श्री अजय कुमार रामपुरिया पुत्र श्री जितेन्द्र जी प्रोपरायटर मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी जतिजी के मन्दिर के पास माणक चौक मालपुरा जिला टोंक
- 4- मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक
- 5-श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोर्धन दास सुखीजा निवासी 11/622 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राज.
- 6- मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राज.

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 02.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2019 को समय 2.43 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टोंक राज.पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से हनुमान सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह एफ.बी.ओ. मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टोंक राज.खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।



1287

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में सोन पपड़ी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) जिसके बैच नं० 19 आई 86 व पैकिंग दिनांक 16 सितम्बर 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर गिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री हनुमान सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वारंते नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हनुमान सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।


आवेदक द्वारा दुकान में 450-450 ग्राम के 15 पैकेट सोन पपड़ी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) रखे हुये में से 450-450 ग्राम के 4 पैकेट का चयन कर वारंते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता, श्री हनुमान सिंह को रू० 496/- अक्षरे चार सौ छिनवे रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा सोन पपड़ी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) 4 पैकेट 450-450 ग्राम कुल मात्रा 1800 ग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 450-450 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में अलग-अलग ज्यो का त्यों रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2368 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2368 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, हनुमान सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कथ करते समय श्री हनुमान सिंह ने मौके पर सोन पपड़ी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) बतोर वारंटी मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं० 112 दिनांक 21.10.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ-196/199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं० एसआईयु 1 एस-1920-05808 दिनांक 11.10.2019 की छायाप्रति पेश की।



1288

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2446 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/2645/एक्ट/2019/2180 दिनांक 20.11.2019 अनुसार हनुमान सिंह से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सोन पपडी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (z) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।


अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का सोन पपडी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से सोन पपडी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) का एरिया सेल्स मैनेजर उपस्थित हुआ। मैनेजर द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सोन पपडी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सोन पपडी सदाबहार बीकाजी मूल पैक (Soan papdi Sada bahar Bikaji Original Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह एफ.वी.ओ. मैसर्स बीकानेर मिष्ठान भण्डार सुभाष सर्किल के पास के पास मालपुरा जिला टोंक राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू०) अप्रार्थी श्री अजय कुमार रामपुरिया पुत्र श्री जितेन्द्र जी प्रोपरायटर मैसर्स अजय एन्टरप्राइजेज जतिजी के मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी जतिजी के मन्दिर के



1289

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

पास माणक चौक मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा निवारी 11/622 गुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर नॉमिनी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर राज. पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौरन शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



*(Signature)*  
(मुरारी लाल शर्मा)  
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट -  
टोंक-राज0